निदेशकों की रिपोर्ट

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेशकों को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते, तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है।

कंपनी का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में 21 मार्च, 2016 को राजस्थान राज्य में दूध एवं दूध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबन्धित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था ।

वित्तीय परिणाम: -

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का संक्षिप्त वित्तीय प्रदर्शन नीचे है:

(राशि रू में)

विवरण	**31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (राशि रुपयों में)**	**31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (राशि रुपयों में)**
संचालन से राजस्व	243,775,494/-	36,730,026/-
अन्य आय	2,834,346/-	2,658,086/-
कुल आय	246,609,840/-	39,388,112/-
कुल खर्चे	244,712,568/-	39,388,112/-
कर पूर्व लाभ / (हानि)	1,897,272/-	-
कर व्यय	501,680/-	4782/-
कर भुगतान के बाद लाभ / (हानि)	1,395,592/-	(4782)/-

कंपनी के मामलों का ब्योरा:-

अवधि के दौरान कम्पनी की कुल बिक्री (टर्नओवर) 2466.0 लाख रु रही, जिसमें 2437.75 लाख संचालनात्मक राजस्व तथा 28.34 लाख रु अन्य आय शामिल है। अवधि के दौरान कुल व्यय 2447.13 लाख रु रहा।

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 4782 रुपये के नुकसान की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 1,395,592 रुपये का लाभ कमाया है।

संचालन की समीक्षा:-

दूध की खरीद:

कंपनी की दूध खरीद संचालन गतिविधियाँ राजस्थान के पाली जिले में जारी रहा और 31 मार्च 2018 तक 2 बीएमसी के माध्यम से 95 गावों में 100 एमपीपी (मिल्क पूलिंग पॉइंट्स) स्थापित कर

दूध संकलन का काम किया गया । वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5541060 लीटर कच्चे दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्ष के अंत तक 4954 सदस्यों ने सदस्यता ली जिसमें से 4668 सदस्यों ने दूध की आपूर्ति कर इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेत कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के विषयगत सहायता और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। सक्रिय सदस्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 की अवधि के लिए योग्य सदस्यों को उनके संरक्षण के अनुपात में 9,25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में कंपनी ने वितरित किया है । यह संकेत कम्पनी के विकास की शुरूआत की पुष्टि करता है, जो निश्चित रूप से आने वाले सालों में सक्रिय सदस्यों के बीच आपसी सहायता को बढ़ावा देगा।

आपूर्ति किए जाने वाले दूध के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्य दे रही है। कम्पनी प्रभाविता बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने, बेहतर निरीक्षण, गुणवत्ता की जांच एवं बेहतर लॉजिस्टिक नियन्त्रण आदि के लिए काम कर रही है।

गुणवत्ता की पहल*:*

इस्तेमाल में आने वाले सभी बल्क मिल्क कूलर मूल जांच सुविधाओं तथा कच्चे दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए सभी उपकरणों से युक्त हैं। अपने संचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कम्पनी सभी सम्बन्धित लोगों को अपना पूरा सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें हाइजीन, जो दूध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अपनायी जाती है। गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन केलिए 68 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया और 2084 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ :

वित्तीय वर्ष के दौरान आशा एमएमपीसी ने अपने सदस्यों को 18-2017281.25 मीट्रिक टन पशु आहार और 2.1 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण बेचने की व्यवस्था की है। कंपनी ने राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम के तहत 100 गांवों में 634 जानवरों को कवर किया है। तक 2018 मार्च 31 1040 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सेवा कंपनी द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया अपना कर उपलब्ध करायी गयी है। कंपनी ने दूध उत्पादकों की आवश्यकता अनुरूप 100 इन्फेर्टिलिटी कैंप आयोजित किये हैं । कंपनी ने 16 डेयरी प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है जिसमें 646 दूध उत्पादकों ने भाग लिया ।

उत्पादक संस्था निर्माण :

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी एक स्तरीय संरचना वाली कंपनी है जिसमें हजारों महिलाएं सदस्य हैं और इसका अभिशासन उनके द्वारा चुने गए निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है । कंपनी से जुड़े सभी हितधारकों के क्षमता विकास के लिए उत्पादक संस्था निर्माण कार्यक्रम के तहत

सदस्य, निदेशकों को एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कंपनी का प्रशासन बेहतर और प्रबंधन सदस्य उन्मुख होता है ।

उत्पादक संस्था निर्माण विभाग बेहतर प्रशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करती है। पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने खुले और पारदर्शी शासन प्रणाली और उनके संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य खिलाड़ियों से निर्माता कंपनी को अलग करती हैं। दूध मार्ग स्तर पर गांव स्तर और सदस्य संबंध समूह (एमआरजी) में अनौपचारिक ग्राम संपर्क समूह (वीसीजी) के गठन के लिए प्रयास किए गए हैं। ये अपने संबंधित दूध पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलते रहे ।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने खुले और पारदर्शी शासन प्रणाली और उनके संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य संस्थाओं से निर्माता कंपनी को अलग करती हैं।

कंपनी के मूल सिद्धान्तः

कंपनी के मूल सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया। व्यापार सौदे केवल सदस्यों के साथ ही सीमित थे। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यापार और शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान न्यूनतम शेयर पूंजीगत योगदान पूरा किया है। सदस्य संचार और शिकायत निवारण व्यावसायिक रूप से प्रबंधित व्यापार संचालन और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्म-जीवितता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए उचित तंत्र शुरू किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

सदस्यों को कंपनी से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि वे अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों, भावी सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों ने भाग लिया । वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं-

क्रम संख्या	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	आयोजित कार्यक्रमोंकी संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	व्यापार और शासन रणनीति कार्यशाला	1	8
2	निदेशक मंडल के लिए एक्सपोजर विजिट	1	7
3	गांव स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए फील्ड स्टाफ के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	7
4	ग्राम स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए फील्ड स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	7

क्रम संख्या	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	आयोजित कार्यक्रमोंकी संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
5	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	69	2120
6	गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यकरम	68	2084
7	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	3	72
8	ग्रामीण स्कूल-जागरूकता कार्यक्रम	5	201
9	वीसीजी अभिविन्यास कार्यक्रम	95	657
10	एमआरजी अभिविन्यास कार्यक्रम	9	96
11	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	1	24

वित्तीय वर्ष बंद होने के बाद मुख्य परिवर्तन:-

31 मार्च **2018** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के बाद कोई भौतिक / बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं ।

कारोबार के स्वभाव में बदलावः

समीक्षारत वर्ष के दौरान कम्पनी के कारोबार के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया गया।

शेयर पूंजी और सदस्यता:-

मार्च 31, को 2018, भुगतान की गई शेयर पूंजी / 4737800- रुपये थी।

मतदान अधिकार और एजीएम में उपस्थिति:-

वे दूध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की तारीख के सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे और वो सदस्य जिसने कम से कम 200 दिनों और कम से कम 500 लिटर दूध डाला है, वोट करने के लिए पात्र होगा और उनका एक वोट होगा ।

निदेशक मंडल:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री बलजींदर सिंह को जुलाई 4, 2017 से दो साल की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक नियुक्त किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में , श्रीमती रेखा आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त हो जाएगी और पात्र होने के बाद खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश करेगी।

वर्ष के दौरान, श्रीमती बिनू कुंवर, मीरा कुमारी ने निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। श्री श्रीराम सिंह और श्री रोशन कुमार ने क्रमशः कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक और मुख्य कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया।

श्रीमती सीता कुंवर और सुखी को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:-

रिपोर्ट की अवधि के दौरान निदेशकों को कम्पनी के बिजनेस मॉडल पर प्रशिक्षित किया गया और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियों, कर्तव्यों और क्षमता निर्माण के बारे भी जागरुक बनाया गया ।
दूध खरीद, दूध उत्पादन और विपणन गतिविधियों के बारे में और जानकारी देने के लिए पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जयपुर की यात्रा के लिए निदेशकों को ले जाया गया ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:-

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के तहत निदेशक पुष्टि करते हैं किः

- सालाना खातों की तैयारी में कम्पनी द्वारा खातों के मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी अकाउन्टिंग नीतियों को अपनाया और लागू किया है जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं और 31 मार्च 2018 को कम्पनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करती हैं और इस अवधि के लिए कम्पनी के खातों का स्पष्ट विवरण देती हैं।
- निदेशकों ने कम्पनी की सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने तथा इसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमतताओं से बचाने के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखा रिकॉर्ड्स का उचित रखरखाव एवं देखभाल की है; और
- निदेशकों ने मौजूदा नियमों के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

<u>लेखा परीक्षा:-</u>

कम्पनी के अंकेक्षक मैसर्स कलानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत हो रहे हैं और अगर उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है तो उन्होंने कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए योग्यता एवं इच्छा की पुष्टि की है।
निदेशक मंडल ने मैसर्स कलानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, जयपुर को आगामी वार्षिक आम सभा में कम्पनी को फिर से अंकेक्षक नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की है।

<u>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा:-</u>

कम्पनी के पास उचित एवं उपयुक्त आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि सभी सम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और सभी लेनदेन अधिकृत हों एवं ठीक से दर्ज किए जाएं। खातों का आंतरिक लेखापरीक्षण नियमित रूप से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की फर्म मैसर्स रे एण्ड रे, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतन्त्र रूप से आंतरिक नियन्त्रण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और लेखापरीक्षण करते हैं।

मानव संसाधन:-

लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व और टीम के काम की भावना ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम

बनाया है। कंपनी ने हमेशा सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण प्रदान करने का प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन पहचाना जाता है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के विजन, मिशन और वैल्यूज को कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के (वीएमवी) लिए संगठन के सभी स्तरों पर सच्चे पत्र और भावना में पालन किया जा रहा है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी:-</u>

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को समर्थन प्रदान करती है और सिस्टम को व्यवस्थित करने और ऑनलाइन बनाने में सहायता करती है। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार, सूचित निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है।

हमारी कंपनी में आईटी हस्तक्षेप सिस्टम सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहे हैं।

कर्मचारियों का विवरण:-

रिपोर्ट के तहत साल के दौरान कम्पनी अनिधियम 1956 के अनुसार कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा के बराबर या अधिक मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ।

<u>सुरक्षा और स्वास्थ्य:-</u>

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्यस्थल प्रदान करती है। यहां हमेशा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से दूध के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर हम खास ध्यान देते हैं।

<u>ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी सम्बन्ध और विदेशी मुद्रा आय और व्यय - :</u>

कम्पनी दूध एवं दूध उत्पादों के कारोबार में है। हालांकि कम्पनी ने उर्जा संरक्षण के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं और इस दिशा में प्रगति के लिए संवेदनशील है। प्रशासन एवं कार्यालय गतिविधियों का संचालन इस तरह से किया जाता है कि जहां तक हो सके उर्जा की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए। इसके अलावा कम्पनी की कारोबारी गतिविधियों में किसी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा साल के दौरान विदेशी विनिमय के कारण आय और व्यय शून्य है।

बोर्ड बैठकों:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल की पाँच बैठक 21.06.2017, 27.09.2017, 6.12.2017, 05.02.2018 & 13.03.2018 को आयोजित की गयी ।

ऑडिटर की रिपोर्ट:-

अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रासंगिक और व्याख्यात्मक हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

अभिस्वीकृति- :

निदेशक मंडल कम्पनी के सदस्यों, राजस्थान सरकार, बिजनेस एसोसिएट्स एवं बैंकरों को साल के दौरान सहयोग एवं योगदान के लिए धन्यवाद देता है।
निदेशक मंडल धानी फाउन्डेशन एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के प्रति भी आभारी है जिसने अपना सतत सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया है।
बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के लिए उनका आभारी है, जिनके सहयोग के बिना कम्पनी का इतना समग्र विकास सम्भव नहीं था।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

दिनांक: 28.06.2018 रेखा
स्थान: बाली,पाली

अध्यक्ष

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर आधारित रिपोर्ट

हमने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2018 तक का बैलेंश शीट, और लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश और अन्य व्याख्यामूलक जानकारी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 (धारा को अधिसूचित करना बाकी है) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX A के प्रावधान एक उत्पादक कंपनी में यथोचित परिवर्तनों सहित इस ढंग से लागू होंगे मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को तब तक निरस्त नहीं किया गया है जब तक उत्पादक कंपनियों के लिए एक विशेष अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है। उपरोक्त बातों को छोड़कर, उत्पादक कंपनियों के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान, उत्पादक कंपनी पर इस ढंग से लागू करने योग्य है मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखा परीक्षण किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX A ख़ास तौर पर धारा 581ZG के अंतर्गत निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए और लेखा परीक्षण से संबंधित मानकों की मौजूदा आवश्यक शर्तों का पालन करते भी यह रिपोर्ट इस ढंग से तैयार किया गया है मानो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में, कंपनी अधिनियम, 1956 को "अधिनियम" कहकर और कंपनी अधिनियम, 2013 को "नया अधिनियम" कहकर संबोधित किया गया है, और दोनों को एक साथ "अधिनियमों" कहकर संबोधित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में नए अधिनियम (अधिनियम की धारा 215, 216, 217 के अनुसार) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं जिससे भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त होता है, जिसमें नए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानक भी शामिल है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (अधिनियम की धारा 211(3C) के अनुसार) के नियम के साथ पढ़ना है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने के लिए; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने के लिए; पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, लागू और रखरखाव करने के लिए, जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित होते हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं और गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण; अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करें।

हमने अधिनियमों के प्रावधानों और लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियमों और नियम के प्रावधान के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने नए लेख की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस

बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं कि वित्तीय विवरण गलत तरीके से मुक्त हैं या नहीं।

एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, लेकिन राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं इस पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है या नहीं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उचितता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणों से हमें अधिनियम के द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक ढंग से प्राप्त होती है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2018 तक कंपनी के मामलों और उस तारीख तक उसके हानि और उसके नकदी प्रवाह के विवरण का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त होता है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. यह कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अधिनियम के भाग प। के अंतर्गत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पंजीकृत है। नए अधिनियम (अधिनियम की धारा 227(4।) के अनुसार) की धारा 143 की उप–धारा (11) की दृष्टि से भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, क्योंकि वह इस कंपनी पर लागू होने लायक नहीं है।

2. नए अधिनियम (अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार) की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार, हमारा रिपोर्ट है किः

- हमने सारी जानकारी और व्याख्या मांगी और प्राप्त की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारे लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।
- हमारी राय में, कंपनी के पास अब तक क़ानून की आवश्यकता के अनुसार उचित बही–खाता है जैसा कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से पता चलता है;
- इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, बही–खाते के अनुरूप हैं;
- हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण, नए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुरूप है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (अधिनियम की धारा 211(3C) के अनुसार, जिसे कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के साथ पढ़ा जाएगा) के नियम 7 के साथ पढ़ा जाएगा।
- 31 मार्च 2018 को निदेशकों से मिले और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए, लिखित वर्णन के आधार पर, किसी भी निदेशक को नए अधिनियम की धारा 164 (2) की दृष्टि से (अधिनियम की धारा 274(1)(G) के अनुसार) एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च 2018 तक के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- एमसीए अधिसूचना सं। एफ संख्या 1-11-2014– सीएल–वी के अनुसार 13–06–2017 दिनांकित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। तथा

- हमारी राय में कंपनी (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में:
    - कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय अवस्थिति को प्रभावित करेगा।
    - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं था जिसके कारण कोई आर्थिक निकटतम नुकसान होता।
    - ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड को ट्रांसफर करना पड़े।

3, इस अधिनियम के भाग IXA की धारा 581ZG की आवश्यकता के अनुसार, हमारी रिपोर्ट है कि

- माल और सेवाओं की बिक्री से होने वाली ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 14 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी ऋण को वसूली के संदिग्ध माना जाता है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच किए गए खातों की किताबों के अनुसार न तो कंपनी के पास साल के अंत में नकदी हो रही थी और न ही कंपनी सिक्योरिटीज में कोई निवेश करती थी।
- 31 मार्च 2018 तक के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं की विस्तृत जानकारी, 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि को और के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो अधिनियम के भाग प। के प्रावधानों के प्रतिकूल लगता हो।
- हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशको को कोई लोन नहीं दिया है।
- हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या सब्सक्रिप्शन नहीं किया है।

कलानी एण्ड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ़आरएन 000722सी

ह/-

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)

पार्टनर

संख्या 416293

स्थानः जयपुर

तारीख : 28 जून 2018